87/5

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला योजना कार्यालय)
निविदा की सूचना

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संख्या– 02/2020–21

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत डॉ0 संजीव कुमार सिंह, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मुंगेर जिला के महाविद्यालयों में प्रायोगिक सामाग्रियों/उपस्करों के आपूर्त्ति हेतु प्रायोगिक उपकरणों/उपस्करो के विक्रेताओं/प्रतिष्ठान संस्थानों से मुहरबंद लिफाफा में दिनांक 10-9-2020 को 02 बजें पूर्वाहन/अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को जिला क्रय समिति मुंगेर के समक्ष दिनांक 10-9-20 को 3:20 बजे पूर्वाहन/अपराह्न को खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। क्रय की जानेवाली सामाग्रियों की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मुंगेर से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से निविदा आमंत्रण की तिथि तक प्राप्त कर सकते है, अथवा जिले के वेबसाईट www.munger.bih.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

❖ तकनीकी निविदा की शर्त्ते–

1. मुहरबंद निविदा दो भागो मे रहेगी। (क) तकनीकी निविदा (ख) वित्तीय निविदा, दोनो निविदा अलग–अलग लिफाफे मे रहेगी एवं दोनो निविदा को एक बड़े लिफाफे में डाल कर देना होगा। जिसपे बड़े अक्षरो में **"मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत प्रायोगिक उपकरणों/उपस्करों हेतु निविदा"** लिखना अनिवार्य होगा।
2. तकनीकी निविदा में मो0–50,000.00 (पचास हजार) रूपये मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर के पदनाम से देय एवं मुंगेर में भुगतान योग्य हो, अग्रधन राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता को प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण पत्र "Shop & Establishment" की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा। अधिकृत विक्रेता होने पर कम्पनी का अधिकृत प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को जी0एस0टी0 में निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र का प्रतिलिपि देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को लगातार तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता का टर्न ओभर पिछले तीन वित्तीय वर्ष में औसतन तीन करोड़ रूपये का होना अनिवार्य है (सत्यापन के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड Profit & Loss और Balance Sheet संलग्न करे)।
7. सरकारी संस्थानो में प्रायोगिक उपकरण/उपस्कर सामग्रियों की आपूर्त्ति करने वाले संस्थानो को निविदा में प्राथमिकता दी जायेगी।
8. निविदा में भाग लेनेवाले फर्म के सामग्रियों की गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल प्रति में देना होगा।

10. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हे निविदा का सभी शर्त्ते मान्य है।

11. निविदा में भाग लेने वाले फर्म का वित्तीय वर्ष 2020 से पूर्व का निर्गत उद्योग आधार नम्बर की छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।

❖ वित्तीय निविदा की शर्त्ते–

1. वित्तीय निविदा में उपलब्ध/अनुशंसित सूची के अनुसार सभी सामग्री का नाम एवं प्रति ईकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

❖ सामान्य शर्त्ते–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. सभी सामग्रियों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
3. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अन्दर आदेशित महाविद्यालयों में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगा।
4. यह निविदा दर निर्धारण की तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा।
5. विवाद की स्थिति में न्यायालय, मुंगेर का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
6. बिना कारण बताए निविदा को आशिंक/पूर्णतः स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
8. GEM PORTAL पर निर्धारित प्रायोगिक/उपकरणों एवं उपस्करो के दर से निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर कम होने पर ही आपूर्त्ति आदेश निर्गत की जायेगी।

27/08/20

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।